

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

08

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे यविद्या हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :

कुलसचिव,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/1366

दिनांक : 26-12-14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार एच.आई.सी.टी. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2010-11 एवं 2011-12 एवं 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एड पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय द्वारा परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य, शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ तीन माह के भीतर करें। उपरोक्त नियुक्तियाँ महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार कराई जावे।
2. 50,000/- रुपये मूल्य की नवीन संस्करण की पुस्तकें क्रय की जावें।
3. रुपये 20,000/- मूल्य के शिक्षा मनोविज्ञान से सम्बन्धित उपकरण एवं टेस्ट क्रय किये जावें।
4. ऑडिट स्टेटमेंट 2010-11/2011-12 एवं 2012-13 का प्रस्तुत किया जावें।
5. शासी निकाय की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जावें।
6. परिनियम 27 -28 का पालन सुनिश्चित किया जावें।
7. छात्र एवं छात्राओं हेतु खेल की सुविधाओं में वृद्धि की जावें एवं खेल का मैदान और अधिक विकसित किया जावें।
8. सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ से धारा 27 -28 की नवीनतम सूची (2012 -13) की प्रस्तुत की जावें।

महाविद्यालय को यह सूचना भेजी जावें कि शर्तें क्र (1), (2), (3) एवं (4) का पालन तीन माह के भीतर करना सुनिश्चित किया जावें। यदि महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त शर्तों की पूर्ति तीन माह के अन्दर नहीं कराई जाती है / की जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2013 -14 की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एच.आई.सी.टी. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर ।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)